भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3917
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पक्के मकानों का निर्माण

3917. श्री राजकुमार रोत:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पी.एम.ए.वाई-जी) के अन्तर्गत बांसवाड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कितने परिवारों को राज्यवार , वर्षवार एवं ब्लॉकवार पक्के मकान उपलब्ध करवाए गए हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-जी के अन्तर्गत पहाड़ी क्षेत्रों में पक्के मकानों के निर्माण के लिए मात्र 1.3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जबकि वर्तमान में निर्माण सामग्री एवं मजदूरी दरों में भारी वृद्धि हुई है तथा यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निर्माण सामग्री एवं मजदूरी दरों में वृद्धि को देखते हुए उक्त वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 8-10 लाख रुपए करने का विचार रखती है तथा यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रधानमंत्री आवास योजना-जी के अन्तर्गत पात्र परिवारों को 3-6.5 प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाकर पक्के मकान बनाए जाते हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार शहरी क्षेत्रों में आवासहीन परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. चंद्र शेखर पेम्मासानी)

(क) प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के अंतर्गत पक्के आवास प्रदान किए गए परिवारों की संख्या का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा तथा योजना की शुरुआत से बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र का ब्लॉकवार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 से 2028-29 तक पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 2 करोड़ अतिरिक्त मकानों के निर्माण को मंजूरी दी है , जिसके लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रुपये प्रति इकाई सहायता तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) राज्यों और पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये प्रति इकाई सहायता दी जाएगी। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) या वित्त पोषण के अन्य विशिष्ट स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाती है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थी को मनरेगा के साथ अभिसरण में अपने आवास निर्माण के लिए वर्तमान दरों पर अकुशल मजदूरी रोजगार के लिए 90/95 श्रम दिवस की सहायता प्रदान करना अनिवार्य है। वर्तमान में, पीएमएवाई-जी के तहत इकाई लागत में संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थी , यदि वह ऐसा चाहता है , तो उसे 70,000 रुपये तक के संस्थागत ऋण का लाभ उठाने की सुविधा दी जानी चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पीएमएवाई-जी के इच्छुक लाभार्थियों को ऋण प्राप्त करने में सुविधा हो , निम्नलिखित उपायों को अपनाया जा सकता है:-

i. पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने के लिए ब्याज दर और पुनर्भुगतान अवधि सहित तौर-तरीकों और नियमों और शर्तों पर चर्चा करने के लिए राज्य/जिला स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी / डीएलबीसी) की बैठक आयोजित की जाए।

ii. प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित बैंक , सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक , आवास वित्त कंपनियां, गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियां आदि) के साथ चर्चा होनी चाहिए कि कौन सी शर्तें पूरी होनी चाहिए और किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।

iii. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और बैंकों को प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (अनुसूचित बैंक, सहकारी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक) द्वारा दिए जाने वाले ऋण उत्पादों के बारे में लाभार्थियों को जागरूक करने के दौरान व्यापक प्रचार करना चाहिए।

iv. जब लाभार्थी को आवास स्वीकृत हो जाता है और वह संस्थागत ऋण प्राप्त करने के लिए इच्छुक होता है तो ऐसे में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एक प्रक्रिया तैयार कर सकते हैं और लाभार्थियों द्वारा ऋण प्राप्त करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए स्थानीय स्तर के पदाधिकारियों को इसका काम सौंप सकते हैं।

v. पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को ऋण की मंजूरी की निगरानी ब्लॉक , जिला और राज्य स्तर पर बीएलबीसी/डीएलबीसी/एसएलबीसी स्तरों सहित की जानी चाहिए। जिला और राज्य स्तर पर, ऋण की मंजूरी न मिलने से संबंधित शिकायतों का जवाब देने और संबंधित बैंक के परामर्श से उनका समाधान करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी को उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए।

(ङ) आवासन और शहरी कार्य के मंत्रालय की प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) की योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में बेघर परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुबंध – I

"पीएमएवाई-जी के अंतर्गत पक्के मकानों का निर्माण " के संबंध में लोकसभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3917 के उत्तर के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध

(i) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत आवासों का कुल निर्माण (राज्यवार और वर्षवार)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	2024-2025
1	अरुणाचल प्रदेश	0	0	85	747	2,417	992	9,343	21,373	634
2	असम	4	26,059	1,59,017	84,010	1,30,878	1,17,694	10,09,133	3,91,030	93,930
3	बिहार	1	28,135	5,81,825	3,76,216	9,42,613	5,08,362	11,46,997	76,813	63,197
4	छत्तीसगढ	136	3,65,867	3,41,378	34,587	59,684	23,289	33,575	2,32,562	1,22,222
5	गोवा	0	0	22	3	87	19	12	94	3
6	गुजरात	12	95,280	83,097	35,589	50,742	77,282	65,545	1,50,929	10,582
7	हरिया	1	6,675	5,961	6,670	1,215	263	5,403	2,618	9

	णा									
8	हिमाचल प्रदेश	1	3,504	3,096	447	605	1,884	3,654	4,602	9,258
9	जम्मू और कश्मीर	0	1,966	13,850	5,016	21,569	42,515	79,270	79,820	61,446
10	झारखंड	25	1,88,295	2,72,678	1,56,974	2,35,011	2,95,036	3,63,310	51,023	3,035
11	केरल	48	9,444	6,519	779	686	2,440	8,825	5,136	290
12	मध्य प्रदेश	152	6,36,365	7,00,447	2,72,863	2,61,254	6,06,303	10,58,356	1,32,242	50,302
13	महाराष्ट्र	219	1,45,630	2,01,969	92,285	1,81,692	1,79,021	3,43,385	1,08,435	25,917
14	मणिपुर	0	66	7,655	1,151	2,379	3,626	13,955	8,904	67
15	मेघालय	0	260	11,329	4,995	5,016	7,009	6,913	63,549	40,634
16	मिजोरम	0	1,333	900	997	1,123	1,158	1,020	17,993	414
17	नागालैंड	0	0	17	3,687	535	0	3,210	8,191	11,998
18	ओडिशा	443	4,31,669	4,03,125	3,61,189	3,95,106	97,145	30,368	5,26,626	1,20,106
19	पंजाब	0	608	12,751	410	3,908	5,473	11,380	3,921	808
20	राजस्थान	108	3,17,728	3,26,600	1,66,763	3,15,479	1,41,340	3,94,988	31,649	11,064
21	सिक्किम	0	372	646	34	13	5	41	249	30
22	तमिल नाडु	0	78,680	1,04,388	49,986	51,868	57,322	1,75,253	1,04,489	14,107
23	त्रिपुरा	0	3,333	20,690	6,155	15,462	1,639	1,80,493	1,33,347	7,691
24	उत्तर प्रदेश	14	8,17,001	4,26,571	1,74,166	37,710	10,94,653	6,62,221	3,78,446	29,313
25	उत्तराखंड	4	6,236	5,925	192	19	3,844	12,493	38,562	879
26	पश्चिम	30	5,89,79	7,39,77	2,86,33	6,78,58	9,59,22	1,47,37	14,002	4,087

	बंगाल		0	4	3	3	8	8		
27	अंडमान और निकोबार	0	0	0	286	483	335	97	26	21
28	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	7	203	221	972	641	1,486	359	106
29	लक्षद्वीप	0	0	0	9	28	7	0	1	0
30	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	आंध्र प्रदेश	681	27,347	18,674	5	0	0	2,167	28,161	7,921
32	कर्नाटक	236	34,317	43,760	7,085	2,405	11,239	2,641	35,716	10,806
33	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	लद्दाख	0	0	0	1,344	62	22	1	1,575	0
	कुल	**2,115**	**38,15,967**	**44,92,952**	**21,31,194**	**33,99,604**	**42,39,786**	**57,72,913**	**26,52,443**	**7,00,877**

(तेलंगाना राज्य और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी पीएमएवाई-जी को कार्यान्वित नहीं करते है।)

(ii) योजना की शुरुआत से लेकर अब तक बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित कुल आवास:

क्रसं	**ब्लॉक का नाम**	**जिला**	**2016-2017**	**2017-2018**	**2018-2019**	**2019-2020**	**2020-2021**	**2021-2022**	**2022-2023**	**2023-2024**	**2024-2025**
1	बागीदौरा		0	3,591	1,257	1,074	2,646	1,383	2,288	84	31
2	बांसवाड़ा		0	6,672	1,911	801	5,085	1,025	2,174	30	47
3	गढ़ी	बांसवाड़ा	0	5,967	1,634	1,558	3,406	976	3,671	129	126
4	घाटोल		0	11,180	3,841	2,258	8,962	2,738	4,024	242	157
5	कुशलगढ़		0	7,440	1,978	2,468	7,452	2,493	2,409	126	137

6	डूंगरपुर		0	1,848	2,801	1,200	2,060	264	2,106	91	4
7	सागवाड़ा	डूंगरपुर	0	3,504	4,718	1,621	4,338	873	4,568	97	19
8	चोरासी		आवास सॉफ्ट पर आंकड़े उपलब्ध नहीं है								
कुल			0	40,202	18,140	10,980	33,949	9,752	21,240	799	521